संख्या: 57/2020/1430(2)/छप्पन-2020-04(सा0)/2020

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 28 अगस्त, 2020

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजीगत पक्ष के इंगित मद से पुनर्विनियोजन के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि के व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-204/ना0उ0नि0/लेखा/पुनर्विनियोजन/2020, दिनांक 13 अगस्त, 2020 में किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या- 38 के अन्तर्गत नीचे इंगित लेखा शीर्षक के सुसंगत मानक मद में हो रहे व्ययाधिक्य को वहन करने हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार कुल रूपये 300.00(रूपये तीन करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति/पुनर्विनियोग की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :-

पूंजीगत लेखा-लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-वायुयान/हेलीकाप्टर की विशेष मरम्मत	धनराशि (लाख रूपये में)
42-अन्य व्यय	300.00
(कुल योग रूपये तीन करोड़ मात्र)	300.00

2- उपर्युक्त धनराशि का पुनर्विनियोग शासन के पत्र संख्या-56/2020/1430/छप्पन-2020-04(सा0)/2020, दिनांक: 28 अगस्त, 2020 द्वारा करा लिया गया है।

3- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत पूंजीगत लेखा शीर्षक 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय में उपलब्ध बचतों को सक्रंमित कर पूंजीगत लेखा शीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-वायुयान/हेलीकाप्टर की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैन्युअल और वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेशो से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- बचत की धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

6- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा।

7- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।

8- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया।

9- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

पृ0सं0 :57/2020/1430(3)/छप्पन-2020-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उपमहालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1 विभूतिखण्ड गोमती नगर, लखनऊ-1,
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन-तीन प्रतियों सहित।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।